

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।  
लगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उत्तमता कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३९५३/७६/एक/एवीएमवीवीई/२०१३-१४, दिनांक १४ जनवरी, २०१५ व संख्या-१९३५/७६/एक/एवीएमवीवीई/२०१३-१४, दिनांक ०७ अगस्त, २०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत की ल०पा०प०, बीसलपुर एवं न०प०, विलसण की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्तियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अत्यग-अत्यग कुल 14 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-१७३३/६९-१-२०१३-४२(बजट)/२०१३, दिनांक १३ जनवरी, २०१४ द्वारा रु० ४२३.५७ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय रवीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् रु० २११.७८५ लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्राविधानित यजट से उपर्युक्त परियोजना में से ल०पा०प०, बीसलपुर एवं न०प०, विलसण के ०७ परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तन्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० ११७.१९५ लाख (रुपये एक करोड़ सबह लाख छठीस हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्ती/प्रतिवर्णी के अधीन श्री राज्यपाल भूमदय सहय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- अन्तर्नाशी प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्दशों विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३१)२०१२टीसी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्दश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अ०४्या०-१२ के प्रस्तर-३१८ में घण्ठित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अदृश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकाम रतर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

मैं गोप्य/भूमदय, प००-

८१३११५  
८१३११५

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यवहार की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशेषित्यों, मालक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय नियाशियों को भिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) परे उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को निकाल स्तरीय शासी निकाल से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यवहार प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यापर्याप्त अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपालिट आते ही तरीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यवहार की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यवहार वित्तीय स्वतंपुस्तिका के ऐसंगत प्राप्तियाँ/समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अनुमति करने से पूर्ण मुद्दा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के अधारान्तर्गत गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप हैं तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्वीकृत को कम करके अथवा प्राप्तियाँ को कम करके लागत ऑफिलिक्ट नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथा समय (सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अनुमति करने से पूर्ण यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्ण रूप से राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि उत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरार्थि न हो, यह सूझा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधीकरण, 30070, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय सेवगार एवं नगरीय उन्नति कार्यक्रम विभाग, 30 प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोणागार का नाम, यात्रार संलग्न, लिखि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस घटराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा दिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित घटराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को धापस करनी होगी।
15. रूपरूप से जा रही घटराशि के साथेक उल्ली ही घटराशि आहरित की जायेगी, जितली 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ओजनान्तर्गत परिपालित बजट में उपलब्ध पनराशि से लेखांशीएक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गट्टी वर्गीकरणों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन वस्तियों तथा अल्पसंख्यक घासुल्य वस्तियों में सीओसी० रोड/इण्टरलाईन बालो आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सुरक्षा हेतु अनुदान" के नामे द्वारा जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय द्वारा संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 य सभ्य-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
- अनुदान रक्त-प्रदानी कक्ष)

भवदीप  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-०१३/२०१५/२०९५(१)/६९-१-२०१५ तिलिंग।

प्रातिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (भेजा एवं दक्षारी), प्रथम, ३०५०, २० सरोजनी नगर, मार्ग, इलाहाबाद।
2. जिदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा दिभास, ३०५०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, लगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०५० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, पीतीभीत।
5. मुख्य कोषधाधिकारी, जबाहर भवत, लखनऊ।
6. वित्त (ई-१) अनुभाग, ३०५० शासन।
7. विद्योजन अनुभाग-४, ३०५० शासन।
8. वित्त लियोंबक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०५०, लखनऊ।
9. सहायक विद्य भास्टर, सूडा को विभागीय विवाहार्थी पर अपलोड कराने हेतु।
10. ग्राम पाइल/कम्प्यूटर सहायक/यंकट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

सिंहमंडप  
शासनादेश संख्या- R.I.3 /2015/2095/69-1-15-47(बजट)/2013, दिनांक ८३ अगस्त 2015 का  
संलग्नक।

(भनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ वनर पंचायत का नाम।	वस्त्री/याँड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम फिरत के रूप में स्वीकृति योग्य भनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	पौलीभीत	न०पा०५०, बीसलपुर	मो० ग्यासपुर, याँड नं०-१५ में पेवसे ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (०४ कार्य)	५३७५४	१८.८७
2.	तदैय	तदैय	मो० ग्यासपुर, याँड नं०-१९ में पेवसे ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (०६ कार्य)	३५.१२	१७.५६
3.	तदैय	तदैय	मो० ग्यासपुर, याँड नं०-२० में पेवसे ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (०५ कार्य)	३७.६३	१८.८४
4.	तदैय	तदैय	मो० ग्यासपुर, याँड नं०-२० में पेवसे ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (१२ कार्य)	३७.७२	१८.८६
5.	तदैय	तदैय	मो० ग्यासपुर, याँड नं०-२१ में पेवसे ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (०६ कार्य)	३८.३३	१९.१६५
6.	तदैय	तदैय	मो० ग्यासपुर, याँड नं०-२१ में पेवसे ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (०१ कार्य)	१२.४२	६.२१
7.	तदैय	न०पा०५० विल्सण्डा	मो० आजादगंज, याँड नं०-०३ में पेवसे ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (०६ कार्य)	३५.३८	१७.६९
शोग				२३४.३९	११७.१९५

(रूपये पाँक करोड़ सबह लाख उन्नीस हजार पांच सौ मात्र)।

(एच०पी० सिंह)

विशेष सचिव।।।